न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/437

अविनाश आयु 12 वर्ष अवयस्क पुत्र किशनगोपाल जरिये वली माता काली बाई पत्नी किशनगोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम ख्यावदा हाल निवासी झाडौल तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. किशन गोपाल पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. कान्ही बाई, पत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
4. श्रीमती द्वारिका बाई पत्नी कन्हैया लाल जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश मीना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमाकान्त लोहिया, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कुल 07 किता की कुल रकबा 2.89 हैक्टर तथा उसी ग्राम की 1.75 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता व दादी का 1/4 हिस्सा संभाग से है । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थिया उक्त भूमि में सहदायिक होने से जन्म से ही उसका स्वामित्व है । प्रार्थी के पिता द्वारा अपने हिस्से की समस्त कृषि आराजी को अन्यत्र व्यय करने हेतु प्रयास किया जा रहा है । यदि दौराने वाद प्रार्थी के पिता अपने कृत्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा ग्राम ख्यावदा की आराजी खसरा नम्बर 105 रकबा 1.75 हैक्टर भूमि में अंकित स्वयं के नाम का अनुचित लाभ उठाकर उक्त भूमि दिनांक 30.03.2017 को श्रीमती द्वारिका बाई

के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित कर दिया है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 1 व 2 उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द बेचान आदि नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थी के स्वामित्व हिस्से की भूमि को अन्यत्र व्ययनित करने से निषेधित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्टं ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के पिता द्वारा दुर्व्यसनों से ग्रस्त होकर अपनी पत्नी व पुत्र अविनाश को परित्याग कर दिया है जिससे अपीलान्ट अपनी माता के साथ जीवनयापन करने के लिए मजबूर है । अपीलान्ट ने पिता ने अन्य व्यक्तियों के प्रभाव में आकर आराजी खसरा नम्बर 105 की भूमि द्वारिका बाई को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से विक्रय कर दी । उक्त रजिस्टर्ड बेचान अपीलान्ट के हितों पर बाई बर्थ राइट के विरूद्ध शून्य है । उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 04.05.93 को सूरज मल पुत्र हीरालाल के द्वारा जरिये बेचान पत्र रामकुमार पुत्र धूलीलाल को बेचान की जा चुकी है । इस प्रकार मुरली पुत्र सूरजमल को विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2017 के आधार पर उक्त आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । पक्षकारान मीना जाति के सदस्य होने से पक्षकारों पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान कर दी गई तो अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में ताफैसला अपील इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी के मौके की व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एंव उक्त आराजी का किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बेचान व भार बंधित ना करे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 4 द्वारिका बाई ने दिनांक 30.03.2017 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से क्रय की है और उक्त रजिस्टर्ड बेचानपत्र के आधार पर ही उक्त भूमि केता द्वारिका बाई के नाम इंतकाल खोला गया है । रेस्पोडेन्ट सद्भावी केता है और रिकॉर्डेड खातेदार है । रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । रेस्पोडेन्ट कम 4 उक्त भूमि पर बेचान

की दिनांक से ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा होना कथन किया है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में यदि वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द, रहन बेचान कर दी गई तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

10. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा होना बताया है । रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है यदि दौराने वाद उक्त भूमि खुर्द–बुर्द हो गई तो अपीलान्ट को वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017 निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी की मूल दावे के निस्तारण तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे तथा वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं किया जावे ।

12. निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा